

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद

सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी

बहराइच, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, सीतापुर तथा लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर 2021

विषय:- कोविड-19 के दृष्टिगत विभिन्न चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाये जा रहे आक्सीजन प्लान्ट हेतु आवश्यक आधारभूत कार्यों-आक्सीजन गैस पाइप लाइन, जेनसेट एवं सिविल आदि कार्य के लिये स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोविड-19 के दृष्टिगत विभिन्न चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगाये जा रहे आक्सीजन प्लान्ट हेतु आवश्यक आधारभूत कार्यों यथा-आक्सीजन गैस पाइप लाइन, जनसेट एवं सिविल आदि कार्य के लिये जनपदों/विभागों द्वारा स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से निम्नानुसार धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है:-

2- जिलाधिकारी बहराइच द्वारा पत्र संख्या 1846/आ0-13-कोविड19मांग/2021 दि0 26.06.2021 द्वारा कोविड-19 की द्वितीय लहर से उत्पन्न स्थिति एवं संभावित तृतीय लहर के बचाव व रोकथाम हेतु जनपद के 04 सामुंस्वां केन्द्रों पर स्थापित एवं स्थापित होने वाले आक्सीजन प्लान्ट के निर्वाध संचालन हेतु जनपद के चिकित्सा विभाग के सामान्य बजट में धनराशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति के दृष्टिगत 05 जनरेटर क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से रु0 35,00,000-00 (पैंतीस लाख रु0 मात्र) आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3- जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा पत्र संख्या 2066/एसीआर/वै0आ0/202122 दि0 10.06.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के दृष्टिगत जनपद में निर्वाध आक्सीजन आपूर्ति व आक्सीजन पाइपलाइन की स्थापना के संबंध में दिनांक 08.08.2021 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साअधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं कोषाधिकारी, मैनपुरी प्रतिभाग किए। जनपद मैनपुरी में दो और आक्सीजन गैस प्लान्टों की स्थापना के फलस्वरूप आक्सीजन पाइप लाइन विछाने आदि हेतु लगभग रु0 1,00,00,000,00 की और की आवश्यकता बताते हुए कोविड-19 की तृतीय लहर के बचाव आदि के दृष्टिगत जनपद को मद-10 से रु0 1,00,00,000.00 (रु0 एक करोड़ रुपये) अतिशीघ्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

4- जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा पत्र संख्या 269/दै0आ0-कोविड19/2021-22 दि0 18.06.2021 द्वारा ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मेडिकल आक्सीजन जेनरेशन प्लान्ट के निर्वाध संचालन के लिए जनरेटर क्रय हेतु जनपदों में एसडी0आर0एफ0 (राज्य आपदा मोचक निधि) की धनराशि उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग से मांग किये जाने के निर्देश चिकित्सा विभाग द्वारा दिये गये हैं। तत्कम में मुख्य चिकित्साधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 13.07.2021 के द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मेडिकल आक्सीजन जेनरेशन प्लान्ट के निर्वाध संचालन हेतु आक्सीजन प्लान्ट की क्षमता हेतु निम्नलिखित जनरेटर की आवश्यकतानुसार राज्य आपदा मोचक निधि से अंकन-59,00,000/- रुपये की

मांग की गयी है। साथ ही अवगत कराया गया है कि आपदा मोचक निधि में रुपये 53,54,036/- रुपये की धनराशि अवशेष है जिसमें से (PICU) Covid-19 में क्रय की गयी सामग्री/उपकरण के विलो का भुगतान किया जाना अवशेष है।

क्र० सं०	स्थान	ऑक्सीजन प्लान्ट की क्षमता	जेनरेटर की आवश्यकता	प्राप्त कुटेशनों के आधार पर अनुमानित मांग हेतु धनराशि
1	जिला चिकित्सालय(पुरुष)	1000 LPM	250 KVA	22,50,000/-
2	जिला महिला चिकित्सालय	500 LPM	125 KVA	13,50,000/-
3	सी०एच०सी० बुढ़ाना	333 LPM	62.50 KVA	9,50,000/-
4	सी०एच०सी० खतौली	500 LPM	125 KVA	13,50,000/-
			योग	59,00,000-00

जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी की मांग के क्रम में जनरेटर क्रय हेतु **रु० 59,00,000/-** (रु० उनसठ लाख) आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

5- जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा पत्र संख्या ४९७/-१३-सीएफ-०५/२०२१-२२ दि० १६.०८.२०२१ द्वारा अवगत कराया है कि चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-1270/पाँच-6-2021 दिनांक 07 जुलाई, 2021 के क्रम में राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 17 अप्रैल, 2021 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की आहूत बैठक दिनांक 13.08.2021 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से जिला महिला चिकित्सालय सीतापुर में मेडिकल ऑक्सीजन पाइप लाइन सिस्टम की स्थापना हेतु मु. 36-77 लाख एवं जेम पोर्टल से 250 के.वी.ए. की क्षमता का एक जनरेटर क्रय/अधिष्ठापित किये जाने हेतु मु. 30.00 लाख कुल 66.77 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त के आलोक में नोवल कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत जिला महिला चिकित्सालय, सीतापुर में मेडिकल ऑक्सीजन पाइप लाइन सिस्टम की स्थापना एवं जेम पोर्टल से 250 केवीए की क्षमता का एक जनरेटर क्रय/अधिष्ठापित किये जाने हेतु कुल **रु० 66.77 लाख** की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

6. जिलाधिकारी लखनऊ ने पत्र संख्या 1211/सीएसआर/आपदा/2021-22 दि० 01.09.2021 द्वारा जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न स्रोतों से स्थापित किये जा रहे पी०एस०ए० ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हेतु विभिन्न आधारभूत आवश्यक कार्य यथा सिविल कार्य (प्लेटफार्म एवं टिन शेड), विद्युत वायरिंग, बैकअप हेतु आटोकट साइलेंट जेनसेट एवं ऑक्सीजन पाइपलाइन इत्यादि हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नानुसार रु० 2,99,52,500/- की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है:

(धनराशि रु० में)

क्र० सं०	चिकित्सालय का नाम	जन प्लांट हेतु स्रोत का विवरण	कार्य/व्यय धनराशि (रुपये में)				राशि (अनुमानित)
			पाइप लाइन	ट साइलेंट जेनसेट (अनुमोदित)	कार्य (प्लेटफार्म एवं टिनशेड) (अनुमानित)	रिंग/आंतरिक विद्युतीकरण (अनुमानित)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम, लखनऊ	राज्य आपदा मोचक निधि	14,98,500	6,30,000	4,70,000	77,000	26,75,500
2	राजकीय संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज, लखनऊ	राज्य आपदा मोचक निधि	14,98,500	6,30,000	4,70,000	77,000	26,75,500
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ	राज्य आपदा मोचक निधि	14,98,500	6,30,000	4,70,000	77,000	26,75,500
4	30 बेडेंड एम०सी०एच० विंग मलिहाबाद, लखनऊ	राज्य आपदा मोचक निधि	14,98,500	6,30,000	4,70,000	77,000	26,75,500

5	30 बेड्ड एम0सी0एच0 विंग मोहनलालगंज, लखनऊ	राज्य आपदा मोचक निधि	14,98,500	6,30,000	4,70,000	77,000	26,75,500
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माल, लखनऊ	मा0 सांसद/मा0 विधायक निधि	14,98,500	6,30,000	4,70,000	77,000	26,75,500
7	नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अलीगंज, लखनऊ	मा0 सांसद/मा0 विधायक निधि	14,98,500	6,30,000	4,70,000	77,000	26,75,500
8	नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेडक्रास, लखनऊ	मा0 सांसद/मा0 विधायक निधि	14,98,500	6,30,000	4,70,000	77,000	26,75,500
9	नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इन्दिरानगर, लखनऊ	मा0 सांसद/मा0 विधायक निधि	14,98,500	6,30,000	4,70,000	77,000	26,75,500
10	नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टुडियागंज, लखनऊ	मा0 सांसद/मा0 विधायक निधि	14,98,500	6,30,000	4,70,000	77,000	26,75,500
11	50 बेड्ड एम0सी0एच0 विंग गोसाईगंज, लखनऊ	कार्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी	24,97,500	—	6,00,000	1,00,000	31,97,500
कुल योग			1,74,82,500	63,00,000	53,00,000	8,70,000	2,99,52,500

७. इस प्रकार आक्सीजन प्लान्टों/अस्पतालों हेतु जनरेटर के क्रय एवं आक्सीजन पाइपलाइन की स्थापना आदि से सम्बन्धित कार्यों के लिए जनपदों/विभागों द्वारा उपरोक्तानुसार राज्य आपदा मोचक निधि से मांगी गई धनराशि के सापेक्ष रु0 5,60,77,000/- (रु0 पांच करोड़ साठ लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

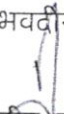
(धनराशि रु0 लाख में)

क्रम	जनपद	धनराशि
1	बहराइच	35.00
2	मैनपुरी	100.00
3	मुजफ्फरनगर	59.00
4	सीतापुर	66.77
5	लखनऊ	300.00
	योग	560.77

(रु0 पांच करोड़ साठ लाख सतहत्तर हजार मात्र)

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मटों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (8) अवध बिहार योजना लखनऊ में स्थित अवध शिल्पग्राम परिसर में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी, कोविड हॉस्पिटल में दो नग, 500 के०वी०ए० डीजी सेट की आपूर्ति एवं संस्थापन हेतु जिलाधिकारी लखनऊ के निवर्तन पर स्वीकृत धनराशि इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया है कि उक्त डीजी सेट का प्रयोग केवल हास्पिटल हेतु किया जाएगा तथा उसकी प्रविष्टि चिकित्सा विभाग के स्टॉक में करा दी जाएगी।
- ८- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि ₹० 5,60,77,000/- (₹० पांच करोड़ साठ लाख सतहतर हजार मात्र) वर्तमान वितीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-१०-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

 (रणवीर प्रसाद)
 सचिव।

संख्या- 1419 (1)/एक-10-2021-33(221)/2011 टीसी-३, तद्विनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र० प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ,30प्र० शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग ,30प्र० शास।
- 4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र० लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र०।
- 8- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन),30प्र० शासन।
- 9- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र०।
- १०- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 1१- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (हरि प्रसाद सिंह)
 अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-04/10/2021

प्रेषण संख्या:- 1419
आवंटन आदेश संख्या:- 113-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5900000 56900000	5900000 56900000
2	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 31000000	10000000 31000000
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	30000000 140000000	30000000 140000000
4	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6677000 27677000	6677000 27677000
5	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 24500000	3500000 24500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	56077000 280077000	56077000 280077000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ साठ लाख सतहत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठाईस करोड़ सतहत्तर हजार


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन ।